ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 274-277

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

"भारतीय समाज में महिला एवं मानवाधिकारों की प्रासंगिकता" (एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन)

महेश कुमार पाण्डेय

असि0 प्रोफेसर–समाजषास्त्र विभाग, हेमवती नन्दन बहुगुणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय
लालगंज,प्रतापगढ, (उ0प्र0) भारत।

Received- 24.10.2019, Revised- 28.10.2019, Accepted - 03.11.2019 E-mail: - mahesh1981.pandey@gmail.com

सारांश : ***महिलाएं समाज की एक अभिन्न अंग है। कोई भी समाज बिना महिलाओं को साथ लिए नहीं चल सकता। प्राचीन काल से ही महिलाओं का समाज एवं सामाजिक व्यवस्था में सर्वोपरि स्थान रहा है। आज राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनो ही स्तरों पर महिलाएं मानवाधिकार के क्षेत्र में उपेक्षित एवं असुरक्षित हैं। इनको वर्तमान परिस्थितियों में असमानता का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में अस्वीकार्य असमानताएँ आज भी विद्यमान हैं। महिलाएं आज की परिस्थितियों में अपने अधिकारों का समुचित प्रयोग करने में असमर्थ हैं। अतः मानवाधिकार के सन्दर्भ में महिलाओं के अधिकार से सम्बन्धित समस्याएँ वैश्विक एवं सार्वभौमिक हैं। महिलाएँ एक समूह के रूप में ऐतिहासिक वंचनाओं का शिकार बहुत बड़े पैमाने पर होती रही हैं। महिलाओं की उपेक्षा एवं उनके साथ भेद–भाव करके हम कभी भी आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकते है। ईश्वर की इस सर्वोत्तम कृति (नर एवं नारी) का प्रादुर्भाव इस धरा पर अच्छे कार्यो को करते हुए सृष्टि के क्रम को अवाध गति से चलाने के लिए हुआ हैं जिसमें वह नियति के कार्यो कों करता हुआ नयी पीढ़ी का विकास करता रहा हैं। यह नवीन पीढ़ी माता के गर्भ से उत्पन्न होती थी, हो रही है, और आगे भी होगी। किसी भी विधान के निर्माण से सृष्टि के निर्माण का यह क्रम बदल नही सकता परन्तु महिला भ्रूण हत्या हेतु महिलाओं पर अनावश्यक दबाव बनाना, महिला संतति की उत्पत्ति पर उन्हें उपेक्षित करने आदि की प्रवृत्ति निन्दनीय है। एतदर्थ माताओं को ही नयी पीढ़ी के जन्म से सम्बन्धित समस्त अधिकार प्रदान कर दिये जाने चाहिए तथा उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि पुरूष एवं महिलाओं के शारीरिक संरचना में स्पष्ट अंतर होता है। इस शारीरिक संरचना की विषमता के चलते उसके कार्य क्षेत्र भी भिन्न होते हैं। कार्यक्षेत्रों की भिन्नता के कारण उनके अधिकारों में भी भिन्नता भी होगी स्वाभाविक है, जिसके कारण कभी भी समान अधिकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।***

कुंजीभूत शब्द– अभिन्न अंग, प्राचीन काल, सामाजिक व्यवस्था, सर्वोपरि, राष्ट्रीय, मानवाधिकार, असुरक्षित।

महिला शब्द साधारणतय दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें पहला शब्द 'महि' है जिसका तात्पर्य है 'धरती' एवं दूसरा शब्द 'इला' है जो अपने में 'स्वर्ग' का अर्थ समेटे हुए हैं इस प्रकार से इस शब्द का सारगर्भित तात्पर्य है 'धरती का स्वर्ग'। एक अन्य स्रोत के अनुसार महि का तात्पर्य 'उत्सव' एवं 'इला' का तात्पर्य 'जनने' से लगाया गया है, इस प्रकार से इसका तात्पर्य है 'पुरूष के जीवन में उत्साह, उल्लास की जननी'।1 मानवाधिकार शब्द भी दो शब्दों के मिश्रण से निर्मित है, जिसमें पहला शब्द 'मानव' है जिसका तात्पर्य 'मनुष्य' से लगाया गया है, वहीं पर दूसरा शब्द 'अधिकार' है जिसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए । llen ने कहा है कि :– "अधिकार किसी हित को प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्रत्याभूत शक्ति है।"2 दूसरे शब्दों में जो न्यायप्रद है, जो नहीं दिया जाता है, और बलात् हठ धर्मिता से मना किया जाता है तो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है।3 मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 के अनुच्छेद 55 व 56 के अनुसार– मानवाधिकार वास्तव मे वे अधिकार हैं जो हमारी प्रकृति में अन्तर्निहित है एवं इनके बिना मनुष्य के रूप में जीवित नहीं रहा जा सकता क्योंकि ये अधिकार मनुष्य के मानवीय गुणों के विकास करने में सहायक है। मानवीय अधिकार सभी मनुष्यों के लिए समान हैं, इस कारण अपने अधिकारों के साथ–साथ दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।4 जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में यह प्रावधानित किया गया है कि–मानवाधिकार से अभिप्राय व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा से सम्बन्धित अधिकार हैं।5 महिलाएं समाज की अभिन्न अंग हैं पुरातन काल से ही समाज में महिलाओं की स्थिति सर्वोपरि रही हैं भारतीय समाज में यह आदर्शवादिता रही है कि –"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमंते तत्र देवताः" ।6 इस प्रकार से सृष्टि के प्रारम्भिक काल से भारतीय संस्कृति में महिलाओं का जीवन स्तर निःसन्देह उपर था। माता शक्ति के रूप में इन्हे जहाँ हड़प्पा काल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था वहीं पर वैदिक काल में भी इनकी स्थिति कम न थी। इनकी मातृ रूप की महत्ता को पुरूष जीवन में स्वीकार करते हुए

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

नैपोलियन बोनापार्ट जिसके शब्दकोश में असम्भव शब्द था ही नहीं ने कहा था कि– "मुझे एक योग्य माता दो, मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दूँगा।"7 इस प्रकार से सैद्धान्तिक एवं कुछ व्यावहारिक रूप से समाज में उनकी अति सम्मानजनक स्थिति काफी समय तक बनी रही, क्योंकि सृष्टि में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जैसा कि कहा गया है– "न हि मानुजात परतरं हि चित्रिचत्"। मानव स्व विवेक के कारण ही अपने जीवन को पारस्परिक सहयोग, सद्भाव, सहृदय के साथ जीना चाहता है इसे ही सामाजिकता कहते है। इन सम्बन्धों को रमणीय व मर्यादित बनाये रखने के लिए केवल पुरूषों को ही नहीं अपितु महिलाओं का सहयोग भी आपेक्षित होता हैं क्योंकि इनको उपेक्षित कर स्वस्थ्य एवं गरिमामय समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता महिला के बिना पुरूष उसी प्रकार अधूरा अपूर्ण एवं किसी काम का नही है जैसे कि एक पंख का पक्षी उड़ान नहीं भर सकता। विश्व के अधिसंख्यक समाजों में पुरूषों की प्रधानता एवं सत्तात्मकता ही दृश्यमान होती है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिये कि महिला प्रधान समाज है ही नहीं वस्तुत इनकी संख्या इतनी कम हैं कि इनको प्रायः प्रभावहीन अथवा नगण्य माना जाता है। भारतवर्ष में असम के खासी8 मालावार के नायर9 गोरा व कादर10..... आदि जनजातियाँ मातृवंशीय ही है। परन्तु धीरे–धीरे ये भी पितृसत्तात्मक परिवारों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में आ गये है। इस प्रकार समाज में जब पुरूषों की प्रधानता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उनके कार्यक्षेत्र एवं अधिकारों में भी वृद्धि होती जायेगी। स्मृति काल (मनु) एवं मुगल शासन काल में इन पर अनेक पाबन्दियाँ लगाई गयी मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा गया है कि– "पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने। रक्षन्ति स्थविरे पुत्रान स्त्री स्वतन्त्रमर्हति।"11 अर्थात स्त्री स्वतंत्र रही ही नही। इस प्रकार उसके तमाम अधिकारों का हनन कर उसको पुरूष वर्ग के हाथों की कठपुतली बना दिया गया और इनके साथ अमानवीय व्यवहार प्रारम्भ हुए। समाज में पुरूषों के द्वारा अपना बर्चस्व कायम रखने की बढ़ती प्रवृत्ति के फलस्वरूप समाज में नारी के अधिकार, सम्मान छिनते चले गये और वह पुरूष की दासी एवं भोग्या मात्र बनकर रह गयी। पुरूषों ने– 'वीर भोग्या वसुंधरा' की शोषण वादी नीति को अपना कर नारी को भोग विलास तथा वासना की विषय वस्तु बना दिया जिससे समाज में स्त्रियों की दशा निरन्तर दयनीय होती चली गयी। प्रमुख नारीवादी चिन्तक बेट्री फ्राइडन का मत है कि– "पुरूष प्रधान समाज ने मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर स्त्रियों की मौलिक प्रतिभा कुंठित की है।12 यदि देखा जाय तो इस धरा पर दोनो की जीवन में बराबर की सहभागिता रही है तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में दोनो के अधिकार भी बराबर के ही होने चाहिये यही न्यायोचित भी है। इसी सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकार आयोग का गठन किया।13 भारतवर्ष में महिलाओं की खोयी हुए स्मिता व अधिकारों को वापस लौटाने तथा संरक्षण प्रदान करने हेतु कानूनों के विनिर्माण का कार्य ब्रिटिश शासन काल में ही प्रारम्भ हो चुका था जिससे महिलाओं ने काफी राहत महसूस की तथापि मानवाधिकार आयोग के गठनोपरान्त सन् 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया। साथ ही इन्हें शोषण एवं अत्याचार से मुक्त कराने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति चैतन्य बनाने एवं उनके कानूनी अधिकारों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी आवाज बुलन्द करने हेतु भारत में सन् 1992 में ही राष्ट्रीय महिला आयोग का भी गठन किया गया।14 यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष15 के रूप में घोषित किया जिसका मूल उद्देश्य पुरूषों एवं महिलाओं की समानता के सिद्धांत को सार्वभौमिक मान्यता विधितः और तथ्यतः को बल प्रदान करना था। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1976–85 को महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ दषक16 एवं 1995–2004 ई0 को मानवाधिकार शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दषक17 घोषित किया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने वर्ष 2001 को महिला अधिकारित वर्ष घोषित किया।18 साथ ही दक्षेस संगठन ने 1990 को बालिका वर्ष एवं 1991–2000 को बालिका दशक घोषित किया।19 वैश्विक परिदृश्य में नारियों की स्थिति का मूल्यांकन करने पर हम पाते है कि महिलाएं सामाजिक, धार्मिक, विधिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक आदि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों द्वारा उपेक्षित एवं शोषित है। इस समस्या से महिलाओं की मुक्ति हेतु सर्वप्रथम प्रयास अमेरिकी महिला सराह हेल ने लेडीज मैगजीन20 प्रकाशित कर नारी मुक्ति आन्दोलन की मुहीम प्रारम्भ की। तथा दासता से मुक्ति दिलाने हुए आपने ए टेल ऑव न्यू हेम्पशायर21 नामक उपन्यास की रचना की इनके इस प्रयास के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और इनकी स्थिति में सुधार के उद्देश्य से विश्व महिला सम्मेलन का आयोजन प्रारम्भ हुआ–जिनमें प्रथम विश्व महिला सम्मेलन वर्ष 1975 ई0 में मौक्सिको सिटी में आयोजित किया गया। तथा द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन कोपेन हेगन (डेनमार्क) में वर्ष 1980 में 14 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित किया गया एवं तीसरा विश्व महिला सम्मेलन नैरोबी (केन्या) में 15 से 26

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

जुलाई 1985 में हुआ, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के 124 देशों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन वर्ष 1995 में पेइचिंग (चीन) में हुआ।22 इन प्रयासों एवं सम्मेलनों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त विकासशील देशों में अग्रगण्य भारत ने अपने संविधान में भारतीय महिलाओं के उत्थान एवं समग्र विकास के लिए समय–समय पर अनेक प्रकार के कानूनों का निर्माण किया तथा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अन्तर्गत उनके विकास की प्रक्रिया व विशेष सुविधाओं को प्रावधानित किया जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से है :–

व्यभियार निवारणार्थः– वेश्यावृत्ति अभिशाप महिला मुक्ति अधिनियम–1956, वेश्यावृत्ति रोकथाम अधिनियम–1986, अश्लील चित्रण अधिनियम–1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम–1829, हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम–1856, गर्भ के दौरान यौन परीक्षण प्रतिबन्ध अधिनियम 1994, विशेष विवाह अधिनियम–1954, हिन्दू विवाह अधिनियम –1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम– 1956, हिन्दू दत्तक ग्रहण, एवं भरण पोषण अधिनियम–1956, हिन्दू नाबालिक एवं संरक्षकता अधिनियम–1956 ।

श्रमिक महिलाओं हेतु :– कारखाना अधिनिमय–1948, खान अधिनियम–1952, प्रसूति लाभ अधिनियम–1961, समान वेतन अधिनियम–1976 । इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदो जैसे– 14, 16, 21, 23, 24, 39, 42, 43, 44, 325.....आदि के द्वारा महिलाओं को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 1 (3) के अनुसार–मानव अधिकारों के लिए किसी प्रकार के जाति, लिंग, भाषा या धर्म पर आधारित किसी भेद भाव के बिना सबकी मौलिक स्वतंत्रता के लिए आदर की भावना को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना निर्धारित किया गया है।23

आधुनिक काल में राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी स्त्रियों की राजनीतिक और सामाजिक मुक्ति के उद्घोषक थे। पर्दा प्रथा, बाल–विवाह के अन्याय, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबन्ध जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध उन्होंने समय–समय पर आवाज उठाई, जो भारतीय महिलाओं को सीमित और संकुचित कर रही थी। भारतीय महिलाओं को उन्होंने उनकी अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति के प्रति जागरूक बनाया। गॉधी जी ने पर्दा प्रथा के विरोध में कहा है कि– पवित्रता स्त्रियों को बाहरी मर्यादाओं (पर्दा) में जकड़कर रखने से उत्पन्न होने वाली चीज नहीं है, और न ही उसकी रक्षा उन्हें परदे की दीवाल से घेरकर की जा सकती है। उसकी उत्पत्ति और विकास तो भीतर से होना चाहिए और उसकी कसौटी यह है कि वह पवित्रता किसी प्रलोभन से डिगे नहीं। इस कसौटी पर वह खरी सिद्ध हो तभी उसका कोई मूल्य माना जा सकता है।24 मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में रवीन्द्र नाथ टैगोर की मान्यता थी कि– अधिकार बाह्य स्थिति नहीं है, इसका सम्बन्ध आत्मा से है। अधिकार याचना की वस्तु नहीं है यह तो पारस्पारिक आत्मीयता की देन है पारस्परिक आत्म कल्याण की मनः स्थिति है, जो जीवन के सुन्दर समतल में पीयूष स्त्रोत रूप में जिससे जीवन मधुमय बना रहता है।

निष्कर्ष :– निष्कर्षतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आज के इस इक्सवीं सदी में महिलाओं को उपेक्षित व शोषित रखकर सामाजिक जीवन की किसी भी चुनौती का सामना नहीं किया जा सकता है। और न ही महिलाओं पर अधिपत्य स्थापित कर उनको अधिशाषित ही किया जा सकता है। आज मानवीय सामाजिक संरचना के चातुर्दिक विकास हेतु पुरूषों एवं महिलाओं को परस्पर एक दूसरे के भावनाओं, विचारों व क्षमताओं का सम्मान करना होगा। उनको अधिकारों की प्राप्ति के टकराहट की हठधर्मिता से दूर हटना होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अंसारी एम.ए. : महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2007, पृ.–180
2. Salmond: Jurisprudence (12th Edidion) P. 218
3. अंसारी एम.ए. : महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2007, पृ.– 180
4. अंसारी एम.ए.: महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2007, पृ.– 66
5. महाजन डॉ. धर्मवीर एवं महाराज डॉ. कमलेश : समाजशास्त्र का परिचय, विवेक प्रकाशन दिल्ली 2009 पृष्ठ– 115
6. महाजन डॉ. धर्मवीर एवं महाराज डॉ. कमलेश : समाजशास्त्र का परिचय, विवेक प्रकाशन दिल्ली 2009 पृष्ठ– 115
7. बघेल डॉ. डी.एस.: समाजशास्त्र, राजीव प्रकाशन इलाहाबाद , 2006–07 पृष्ठ– 117
8. मनु स्मृति– (9/3)
9. अंसारी एम.ए. : महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2007, पृ.– 13
10. अंसारी एम.ए. : राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2005, पृ.– 36
11. अंसारी एम.ए. : राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2005, पृ.– 40
12. मिश्र डॉ. मनोज कुमार : मानवाधिकार तथा महिला

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

सशक्तिकरण (पाण्डेय डॉ. अनिल कुमार द्वारा समपादित– नारी विर्मश विजय प्रकाशन मन्दिर वाराणसी द्वारा प्राकशित, 2009, पृ.– 63)
13. वही।
14. सिंह सुनील कुमार–लूसेण्ट सामान्य ज्ञान , लूसेण्ट पब्लिकेशन, पटना 2008,पे.– 453
15. सिंह एम.एन.: आधुनिक समाजशास्त्रीय निबन्ध, विवेक प्रकाशन,दिल्ली 2008,पृष्ठ–75
16. अंसारी एम.ए. : महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2007, पृ.– 92
17. अंसारी एम.ए. : महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2007, पृ.– 11
18. अंसारी एम.ए. : महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2007, पृ.– 12
19. अंसारी एम.ए. : महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2007, पृ.– 41
20. संविधान की उपर्युक्त धारा से।
21. यंग इण्डिया, 3–2– 1927

*****